समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर

पुनर्विचार याचिका कं. ..../2016

आवेदक :- 1. पूरन लाल
पिता स्व. श्री मन्नूलाल कुशवाहा, उम्र लगभग 48 वर्ष,

2. जयराम
पिता स्व. श्री मन्नूलाल कुशवाहा, उम्र लगभग 42 वर्ष, दोनों निवासी- ग्राम नकरा तहसील निवाडी जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

विरूद्ध

अनावेदक :- 1. म.प्र. शासन
द्वारा तहसीलदार तहसील ओरछा
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

2. मनीष सिंह पिता रामभरौसे सेंगर, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी- बैंकर कालोनी, आवास विकास सीपरी बाजार, जिला झांसी (उ.प्र.)

(पुनविचार याचिका आदेश दिनांक 14.03.2016 से उद्‌घृत होकर प्रस्तुत की जा रही है।)

आवेदक निम्न निवेदन करता है:-

याचिका के तथ्य

1. यह कि, आवेदक यह पुनर्विचार याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष नि.प्र.क्र. 863-2-16 में पारित आदेश दिनांक 14.03.2016 से परिवेदित होकर कर प्रस्तुत करे रहे है। माननीय न्यायालय को यह पुनर्विचार याचिका सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2. यह कि, प्राथीगण ग्राम नकरा तह. ओरछा जिला टीकमगढ़ के मूल निवासी व गरीब किसान है एवं आवेदक क्रं. 1 एक विकलांग व्यक्ति है प्रार्थी की कब्जे वाली भूमि खसरा नं. 2/2 रकवा 11.619 हेक्टयर है

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3590–एक/16 जिला –टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
5.12.16	आवेदक की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। अनावेदक –1 शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 863–दो/16 में पारित आदेश दिनांक 14.3.16 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 3590–एक/16 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 863–दो/16 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 14.03.16 से किया जा चुका है।	

4–रिव्यु प्र0 क0 3590–एक/16 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ–नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एम0 क0 सिंह)
सदस्य